भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4243**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात को बढ़ावा देना

4243. श्री जिया उर रहमानः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैश्विक व्यापार संबंधी व्यवधानों, प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में विलंब, वैश्विक बाजारों में एमएसएमई की सीमित भागीदारी और बढ़ती लॉजिस्टिक्स एवं अनुपालन लागतों के कारण निर्यात को बढ़ावा देने में मौजूदा चुनौतियों से अवगत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो यूके और यूरोपीय संघ के साथ शीघ्र एफटीए करने, पीएलआई (उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन) योजनाओं के माध्यम से निर्यात क्षमता का विस्तार करने, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (संभार तंत्र) नीति के तहत अवसंरचना में सुधार करने, ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने और जिलों को निर्यात केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से बाजार पहुँच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बीच, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है, जिसे वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

घरेलू विनिर्माण और निर्यात क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बल्क ड्रग्स, उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों सहित 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन- सहबद्ध-प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ लागू की हैं ताकि भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाया जा सके। इन योजनाओं ने घरेलू

विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि, रोज़गार सृजन और निर्यात में वृद्धि हुई है। इन योजनाओं ने घरेलू और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों से महत्वपूर्ण निवेश भी आकर्षित किया है।

संपूर्ण देश में लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाने और संबंधित लागत को कम करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) और पीएम गति शक्ति जैसी ऐतिहासिक पहल शुरू की हैं जिन्हें इसे बाधाओं को दूर करके वस्तुओं एवं लोगों कि आवागमन को सुव्यवस्थित करने, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करने, और बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आर्थिक उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी, तेज़ परिवहन और इस्टतम संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मल्टीमॉडल अवसंरचना के एकीकृत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन प्रयासों का पूरक राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) है , जो एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मजबूत कनेक्टिविटी के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र स्थापित करना है। इन गलियारों की परिकल्पना औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक जैसे तकनीकी उपकरणों ने पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया है। साथ में, ये पहल भारत के लॉजिस्टिक्स ईको-सिस्टम और औद्योगिक आधार को आधुनिक बनाने, दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीतिक विज़न का प्रतिनिधित्व करती हैं।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) और ई-कॉमर्स निर्यात केन्द्र (ईसीईएच) जैसी जमीनी पहल, कम लागत और सरलीकृत विनियमों के माध्यम से स्टार्ट-अप सहित एसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रही हैं।

सरकार ने जिलों को निर्यात केंद्र पहल के तहत जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता के साथ उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। इस पहल के तहत, 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार की गई है जो आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा बाधाओं का विवरण देती हैं और मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित क्रियाकलापों की पहचान करती है। तथा बाकी जिलों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही है।

ई-कॉमर्स निर्यात हब (ईसीईएच) पहल का उद्देश्य भारत से सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत और समय को कम करके, नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और ई-कॉमर्स रिटर्न या अस्वीकृति के लिए पुन-र्आयात को सरल बनाकर एसएमई, कारीगरों और छोटे व्यवसायों का सहयोग करना है। ईसीईएच एक ही स्थान पर एकीकृत सेवाएँ प्रदान करेंगे, जिनमें सीमा शुल्क मंजूरी, गुणवत्ता प्रमाणन, पैकेजिंग और बंदरगाह से बाहर भंडारण शामिल हैं। डीजीएफटी ने इन पायलट परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 22.08.2024 को व्यापार नोटिस सं.14/2025 जारी किया है। कार्यान्वयन के लिए पाँच ईसीईएच पायलट परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा उपकरणों संबंधी पीएलआई योजना के तहत,21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें हाई एंड उपकरण जैसे लीनियर एक्सेलरेटर (एलआइ र्एनएसी), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संबंधी पीएलआई योजना ने भारत में मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया है, जिससे भारत मोबाइल फोन के निवल आयातक से निवल निर्यातक में बदल गया है। मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपये की संचेयी बिक्री हुई है जिसमें योजना के पहले तीन वर्षों में 1.7 लाख करोड़ रूपये का निर्यात शामिल है। इस योजना ने भारत को थोक औषधियों का निवल निर्यातक (2280 करोड़ रुपये) बनाने में योगदान दिया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में निवल आयातक (-1930 करोड़ रुपये) था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच के अंतर में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

***